न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 02/2020
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 26.09.2024

1. श्रीमति गुलाब देवी पुत्री स्व. हरनाथ पत्नी सागरमल जाति बैरवा निवासी परवण तहसील फागी जिला दूदू।
   1/1. सुगना पुत्री स्व0 सागरमल जाति बैरवा निवासी परवण तहसील फागी जिला दूदू।
   1/2. रामकुवांर पुत्र स्व0 सागरमल जाति बैरवा निवासी परवण तहसील फागी जिला दूदू।

प्रार्थीगण

वनाम

1. गोरधन पुत्र हरनाथ जाति बैरवा निवासी परवण तहसील फागी जिला दूदू।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू।
3. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री सीताराम सैनी वकील प्रार्थीगण
श्री रमेश चन्द पारीक वकील अप्रार्थी सं0 1
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक:– 26.09.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 40 के खसरा नम्बर 497/1 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम परवण, खतौनी संख्या 21 के खसरा नम्बर 68/2, 440/134, 441/134 कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम लाखावास, तह. फागी, जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज राजस्व रिकार्ड हिस्से में से प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त करती चली आ रही है एवं सरकारी लगान जमा कराती चली आ रही है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के वंशज एवं सदस्य है। इस प्रकार प्रार्थीया स्वं. हरनाथ की पुत्री एवं अप्रार्थी संख्या 1 की सगी बहिन है। उक्त विवादित आराजी भी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी है जो स्वं. हरनाथ की खातेदारी आराजी रही है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का भाई है, प्रार्थीया के पिता हरनाथ पुत्र कानाराम का स्वर्गवास होने के बाद विरासत का नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 14.03.1973, नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 15.06.1972 को ग्राम पंचायत परवण द्वारा बिना विधिवत वारिसान की जांच किये ही फर्जी तरीके से वारिसान के तथ्यों को छुपाकर अकेला अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम खुलवा लिया, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अवैधानिक तरीके से खुलवाया गया नामान्तकरण है, जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के पिता के देहान्त होने के पश्चात् सम्पूर्ण

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

आराजी अकेले अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने नाम करवा लिया, परन्तु प्रार्थीया उक्त आराजी में अपना जन्मजात हक व हिस्सा पुश्तैनी एवं संयुक्त परिवार की आराजी होने से रखती है एवं इस हक व हिस्से के लिये प्रार्थीया को यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजमी आया है। प्रार्थीया के पिता का देहांत होने के बाद अपने भाई गोरधन ने स्व. हरनाथ की खातेदारी भूमि का अपने नाम गलत नामान्तकरण खुलवा लिया जबकि प्रार्थीया हरनाथ की सगी जायन्दा पुत्री है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की कानूनी वारिस है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आराजीयात पर बराबर–बराबर हिस्सा चला आ रहा है एवं मौके पर अपने–अपने हिस्से अनुसार बांटकर काबिज काश्त है। उक्त आराजी में से प्रार्थीया के हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता के देहान्त के पश्चात ही संभला रखा है एवं मौके पर प्रार्थीया अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थीया पढ़ी–लिखी नहीं है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में नाम होने की जानकारी नहीं हुई बल्कि प्रार्थीया ग्राम परवण में ही निवास कर रही है एवं उक्त आराजीयात पर काबित काश्त होकर अपना जीवन–यापन उक्त आराजी से कर रही है। उक्त आराजी के अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई कमाने–खाने का सहारा नहीं हैं, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत परवण सरपंच व तत्कालीन पटवारियों से सांठ–गांठ कर उक्त आराजीयात का अपने नाम गलत नामान्तकरण खुलवा लिया है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई वैधानिक नहीं है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान कर प्रार्थीया को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहता है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादों में सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा, व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेंगी इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को अपने हिस्से से महरूम करने के उद्देश्य से अन्य दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर उक्त आराजी को रहन बेचान कर प्रार्थीया को अपने कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया को उसके हिस्से से महरूम करने का आशय हमेशा रखता आया है। जो आपस में भूमाफ़ियाओं से मिलकर उक्त भूमि को बाला – वाला बैचान करने की फिराक में है एवं आये दिन जमीन को बेचने वाले दलाल, भू–माफियों को बुलाकर प्रार्थीया की हिस्से की आराजी पर लाकर वैचान करने की बातचीत करता है। जबकि प्रार्थीया ने अपने हिस्से को बाहमी बटवारा कर काश्त कर रखी है एवं वर्तमान में आराजी में उन्हालू की फसल बो रखी है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया को उसके जन्मजात हक से वंचित

लगातार.................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

करने के आश्य से उक्त भूमि भी बैचान करने पर आमादा है, जिसको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की प्रार्थीया अधिकारी है। दिनांक 15.01.2020 को प्रार्थीया अपने कब्जे व हिस्से की आराजी पर उन्हालू की फसल की देखरेख करने गई तब अप्रार्थी संख्या 1 व कुछ अन्य व्यक्ति थे जो आराजी पर आये व प्रार्थीया को काश्त करने से मना करने लगे प्रार्थीया ने अपने हिस्से में काश्त करने से मना करने का आशय पूछा तो कहने लगे की इस सम्पूर्ण भूमि का बैचान का सौदा कर दिया है। अब तुम काश्त मत करो शीघ्र रजिस्ट्री करवा देंगें । प्रार्थीया अपने हिस्से के लिये कहने लगी तो अप्रार्थी संख्या 1 के साथ आये दलाल आवेश में आकर कहने लगे की राजी से कब्जा छोड दो नहीं तो लाठी के बल पर कब्जा कर लेंगे। तुम देखती रहना, ये सम्पूर्ण भूमि अकेले मेरे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये प्रार्थीया को यह वाद अपने हक की घोषणा करवांना लाजमी आया है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उपरोक्त मनसुबों में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपने जन्मजात हक व हिस्से से वंचित होना पडेगा व अपने परिवार के पालन–पोषण करने मे भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी क्योंकि प्रार्थीया के पास में अन्य कोई कमाई का साधन नही है। इसलिये प्रार्थीया को यह वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द पारीक उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की प्रार्थीया का मिन उत्तरदाता की सगी बहिन होने में कोई इंकारी नहीं, परन्तु प्रार्थीया का आराजी में कोई हक व अधिकार न पूर्व में था, न ही आज कोई हक व अधिकार है। जो विरासत का नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 15.06.1972 एवं नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 14.03.1973 को मिन उत्तरदाता के पक्ष में भरे गये वो विधिवत हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत भरे गये थे। जिन्हें प्रार्थीया द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती विगत 46 वर्ष तक इसलिये नहीं दी, क्योंकि प्रार्थीया का आराजी में न पूर्व में, न वर्तमान में हिन्दू उत्तराधिकार के तहत हक व हिस्सा नहीं था। बल्कि अब चुनौती दिये जाने के पीछे प्रार्थीया का एकमात्र उदेश्य मिन उत्तरदाता को हैरान परेशान करने, खर्चो से जैरबार करने व ऐनकेन प्रकारेण लोगों के बहकावे में आकर रूपये ऐठना है। उत्तरदाता ने अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात न तो कोई गलत नामान्तकरण तस्दीक कराया, न ही राजस्व कर्मचारियों ने मिनउत्तरदाता के कहे अनुसार विधिविरूद नामान्तकरण तस्दीक किया, बल्कि जांच पडताल करने के पश्चात विधिसम्मत नामान्तकरण तस्दीक किया है। ऐसे में राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ करने एवं प्रार्थीया को उसके हिस्से से महरूम करने का प्रश्न ही नहीं है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीया को विवाह के

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

पश्चात भी ग्राम परवण में 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि थी। जिसे प्रार्थीया एवं उसके पुत्र/पुत्रियों द्वारा बैचान कर दिया गया है। प्रार्थीया ने स्वयं के नाम रही भूमि का बैचान कर दिया। अब वह मिन उत्तरदाता के जीवन निर्वाह का एक मात्र सहारा उक्त भूमि है। जिसे वह किसी भी सुरत में बैचान नहीं करना चाहता जिससे प्रार्थीया अन्य लोगों के बहकावे में आकर उनका मोहरा बनकर झुंठे दावे कर बैजा दबाव बनाकर बिकवाना चाहती है। जिससे प्रार्थीया भी मिन उत्तरदाता से पैसे ऐंठ सके। इस प्रकार प्रार्थीया मिन उत्तरदाता को कानूनन पाबन्द कराने की हकदार न पूर्व में थी, ना ही आज है। उत्तरदाता आराजी का विरासत में भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के वर्ष 1972–73 के पूर्व से काबिज काश्त चला आ रहा है। जब प्रार्थीया का आराजी में कभी कोई हक व हिस्सा एवं कब्जा काश्त रहा ही नही तो कोई फसल बोने, देखरेख करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रार्थीया का श्रीमान के समक्ष वाद पेश करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा न ही प्रार्थीया मिन उत्तरदाता को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया एक शादीशुदा है, जो विवाह के पश्चात अपने ससुराल में रही, वही उसकी चल अचल सम्पति थी, जिसे बैच दिया, ग्राम परवण की भूमि को भी बैच दिया। अपनी समस्त चल अचल सम्पतियों को बैचकर बदनियती के चलते गिन उत्तरदाता की भूमि पर हक लोगों के बहकावे में आकर जता रही है, जबकि कानूनन प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा मिन उत्तरदाता की भूमि में नहीं है। प्रार्थीया ने मदहाजा ने वाका गलत दर्ज किया है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड मुलाहिजा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णयो के आधार पर कोई प्रथम दृष्टया व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में सुदृढ एवं बेखुबी साबित नहीं है, बल्कि उक्त बिन्दू मिन उत्तरदाता के पक्ष में बेखुबी साबित है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वर खिलाफ कानून (हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम) झुंठे एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर मिन उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने खर्चा से जेरबार करने मुकदमें बाजी में उलझाकर रूपये ऐंठने की बदनियती से पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीया के हिस्से में ग्राम परवण में खातेदारी भूमि जिसके खसरा नं. 530/2/2 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा रही है, जिसे प्रार्थीया व उसके पुत्र/पुत्रीयों ने वर्ष 2006 में बैचान कर दिया है, अब प्रार्थीया मिन उत्तरदाता के हिस्से एवं दर्ज हिस्से की भूमि को मुकदमेबाजी का बैजा दबाव बनाकर नाजायज दबाव में लेकर रूपये ऐंटना चाहती है जिसका प्रार्थीया को कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं है। जबकि प्रार्थया स्वयं जानती है, कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मुन्दर्जा भूमि में कोई हक व अधिकार न पूर्व में था, ना ही आज है। क्योंकि प्रार्थीया का हक व अधिकार आराजी भूमि मुन्दर्जा प्रार्थना पत्र में होता तो

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

प्रार्थीया वर्ष 1972—73 से लेकर वर्ष 2020 तक अपना अधिकार आराजी में होने को लेकर भरे गये नामान्तकरणों को चुनोती देती जो आज दिन तक नहीं दी । ऐसी अवस्था मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 के पिता की रही है जो की अप्रार्थी सं0 1 ने बाला — बाला ही अपने नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया है। उक्त आराजी पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थीया का उक्त विवादग्रस्त आराजी मे हिस्सा बनता है। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन, अपुरर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे प्रबल साबित है। इसलिये मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की प्रार्थीया का उक्त विवादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। कब्जे के सम्बन्ध मे प्रार्थीया द्वारा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये है। जब से अप्रार्थी सं0 1 के नाम नामान्तकरण तस्दीक हुआ है तब से उक्त विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 ही काबिज है। अतः सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष मे प्रबल साबित है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण मुख्यतः 3 बिन्दुओं पर किया जाना है।

1. प्रथम दृष्टया केस
2. अपूर्णीय क्षति
3. सुविधा का सन्तुलन

1. **प्रथम दृष्टया केसः—** पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी ने वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 वाके ग्राम परवण के खाता सं. 40 व मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 — 2078 वाके के ग्राम लाखावास के खाता सं0 21 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 को जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 69 दिनांक 15.06.1972 एवं नामान्तकरण संख्या 115 दिनांक 14.03.1973 के द्वारा प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं0 01 ने अपने जबाब मे प्रार्थीया को अपनी बहिन होना स्वीकार

लगातार.................6

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू

किया है। जबकि उक्त नामान्तकरण मे हरनाथ के फौत होने पर केवल एक पुत्र गोरधन को ही बताया जाकर नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। प्रार्थीय का हक व हिस्सा मूलवाद मे गुणावगुण पर निश्चित किया जाना है। चूँकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुत्रियों को जन्म से ही अधिकार है एवंम स्थगन के अभाव में आराजी का बैचान होगा तो जटिलताए बढेगी जिससे प्रार्थीया को नुकसान होने की प्रबलता है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष मे बखुबी साबित होता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन** :– अप्रार्थी को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। 11 अगस्त 2020 को सर्वोच्च न्यायालय नें हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुये एक बार फिर समाज के उस जनमानस में चेतना लाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायक (संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार) अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम **(Hindu Succession (Amendment) Act)** 2005 से संबंधित है।

" सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित हैं या नहीं।"

चूकि अप्रार्थी सं0 1 को उक्त विवादगस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 के पिता के फौत होने पर जरिये विरासत से प्राप्त हुई है। इसलिये हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया अपना हक पाने की अधिकारी है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष मे बखुबी साबित है।

3. **अपूर्णीय क्षतिः–** संलग्न मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार है। जोकि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 की पुश्तैनी आराजी हैं। अप्रार्थी सं0 1 रिकार्डेड खातेदार होने के कारण उक्त विवादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत हो सकती है। अगर उक्त विवादग्रस्त आराजी को रिकार्डेड खातेदार द्वारा रहन, बैचान इत्यादि किया जाता है तो प्राथीया को क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भंव प्रतीत नही होता है। अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष मे प्रबल साबित होती है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश से प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष मे साबित होने से न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

लगातार.....7

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

(7)

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं0 40 के ख0न0 497/1 रकबा 09 बीघा भूमि वाके ग्राम परवण तहसील फागी व खाता सं0 21 के ख0न0 68/2, 440/134, 441/134 कुल किता 03 कुल रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लाखावास तहसील फागी जिला दूदू में स्थित आराजी की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

26/9/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

सत्यमेव जयते